न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1733/2017

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण, जिला–पाली (राज.)
2. जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह जातियान– राजपुत, निवासीगण– पृथ्वीपुरा तहसील–जैतारण, जिला–पाली		

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

तारीख रजू:. 28/07/2017

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान चारण, अधिवक्तागण, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 18/02/2019

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा– पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया भू.अ.निरीक्षक बैड़कला तहसील जैतारण जिला पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 133–12 बीघा किस्म चाही दोयम स्थित है उक्त खसरे की भूमि में वक्त सेटलमेंट में प्रार्थीगण के पिता समन्दरसिंह वल्द भूरसिंह जाति राजपूत साकिन पृथ्वीपुरा 1/3 हिस्से की भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा अन्य सह खातेदार काश्तकार सवाईसिंह वल्द विजेसिंह 1/6 वां हिस्सा एवं जालमसिंह वल्द सुल्तानसिंह राजपूत 1/2 हिस्से की भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है वक्त सेटलमेंट में बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी खतौनी बंदाबस्त संवत् 2011–2030 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता समन्दरसिंह वल्द भूरसिंह 1/3 हिस्सा एंव अन्य सह खातेदार काश्तकार सवाईसिंह विजेसिंह 1/6 वां हिस्सा व जालमसिंह वल्द सुल्तानसिंह 1/2 हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त था। इसी हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था जो जमाबंदी खतौनी वक्त सेटमेंट से लेकर जमाबंदी खतौनी संवत् 2027–2030 तक उपर्युक्त वर्णित हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज था तत्पश्चात् संवत् 2027–2030 में राजस्व अभियान के दौरान राज्य सरकार की योजना के तहत जालमसिंह वल्द सुल्तानसिंह ने अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि अपने जायन्दा पुत्र क्रमशः हरीसिंह, मदनसिंह, रामसिंह पिसरान जालमसिंह के नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 36 के तहत् राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की, इसी प्रकार समन्दरसिंह वल्द भूरसिंह ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 36 के तहत् ही अपने जायन्दा पुत्र प्रार्थीगण शेरसिंह जवानसिंह पिसरान समंदरसिंह के नमा दर्ज की, जो समंदरसिंह वल्द भूरसिंह के 1/3 हिस्से की भूमि पर शेरसिंह एवं 1/6 हिस्सा एवं जवानसिंह 1/6 हिस्से की भूमि पर बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड संवत् 2027 से लेकर जमाबंदी खतौनी संवत् 2047 तक इन्द्राज है उक्त जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। संवत् 2044–2047 में जरिये म्यूटेशन संख्या 162 के तहत् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में राज्य सरकार द्वारा सड़क हेतु 17–03 बीघा भूमि अवाप्त की गई। संवत् 2048–2051 में राजस्व अभियान रात्रि चौपाल में उपर्युक्त भूमि खसरा नम्बर 49 के तमाम खातेदार काश्तकार की आपसी सहमति/रजाबंदी से जरिये म्यूटेशन संख्या

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

186 का बंटवाड़ा किया गया, उक्त आपसी बंटवाड़े के तहत् खसरा नम्बर 49 के अलावा नये खसरा नम्बर 49/3, 49/2, 49/1, 49/4 कायम किये गये, जिसमें खसरा नम्बर 49 रकबा 19-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 49/3 रकबा 23-06 बीघा भूमि जरिये बंटवाड़ा के सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह राजपूत एवं प्रार्थीगण शेरसिंह, जवानसिह, पिसरान समन्दरसिह के हक हिस्से में बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड मय जमाबंदी खतौनी इन्द्राज की गई। उक्त भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत् 2048-2051 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। व म्यूटेशन संख्या 186 के जरिये खसरा नम्बर 49/2 रकबा 35-00 बीघा भूमि हरिसिंह, मदनसिंह, रामसिंह पिसरान जालमसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। व खसरा नम्बर 49/4 रकबा 13-12 बीघा भूमि सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह 1/6 वां हिस्सा, हरिसिंह 1/6, मदनसिंह 1/6, रामसिंह 1/6, पिसरान जालमसिंह एवं प्रार्थीगण शेरसिंह 1/6 वां हिस्सा व जवानसिंह 1/6 वां हिस्सा पिसरान समन्दरसिंह राजपूत के नाम इन्द्राज की गई। संवत् 2048-2051 में आपसी सहमति से हुये बंटवाडे के दौरान खसरा नम्बर 49 रकबा 19-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 49/3 रकबा 23-06 बीघा भूमि सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह एवं शेरसिंह पुत्र समंदरसिंहख जवानसिंह पुत्र समंदरसिंह के नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 186 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई थी, मगर हल्का पटवारी के सहवन व लिपिकीय त्रुटि के कारण उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 व खसरा नम्बर 49/3 में प्रार्थीगण शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 हिस्सा का इन्द्राज जमाबंदी खतौनी में नहीं किया गया, ना हि सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह के 1/3 हिस्सा का इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात् संवत् 2052-2055 में प्रार्थीगण शेरसिंह पुत्र समंदरसिंह व जवानसिंह पुत्र समंदरसिंह ने अपने 2/3 हिस्से की भूमि भूमि विकास बैंक पाली शाखा जैतारण से ऋण लेने से रहन रखी गई, जो जमाबंदी खतौनी संवत् 2052-2055 एंव म्यूटेशन संख्या 205/14.12.1995 में दर्ज है उक्त जमाबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण शेरसिंह पुत्र समंदरसिह, जवानसिह पुत्र समंदरसिंह खसरा नम्बर 49 एवं 49/3 में 1/3, 1/3 हिस्से की भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है मगर संवत् 2048-2051 में आपसी सहमति से हुये बंटवाड़े के दौरान हल्का पटवारी लिपिकीय त्रुटि/भूल एवं सहवन से हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया, ना ही भूमि के सह खातेदार काश्तकार सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह के 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया, इसी लिपिकीय त्रुटि/भूल का नाजायज फायदा उटाने की नियम से सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह 1/2 वां उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपना बताकर बैचान, हस्तान्तरण, इकरार व रहन रखने पर आमादा है यदि सज्जनसिंह वल्द सवाईसिंह अपने 1/3 वां हिस्से से अधिक भूमि का बैचान , हस्तान्तरण रहन किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है ऐसा होने पर प्रार्थीगण को विविध मुकदमेबाजी करनी पडेगी, जिससे खर्चे से जैर बार होना पडेगा इसलिए राजस्व अभिलेख में गलतियां को शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा सखरा नम्बर 49/3 में से कुछ भूमि नेशनल हाईवे 112 सड़क हेतु भूमि अवाप्त की गई जिसमें उक्त भूमि के सभी खातेदार काश्तकार क्रमशः सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह, शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह एंव जवानसिंह पुत्र समंदरसिंह ने अपने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु एक सहमति पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सभी खातेदार काश्तकार के अपना अपना 1/3 होना मंजूर कर अपने अपने हस्ताक्षर किये व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया, उक्त सहमति पत्र प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी से

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया गया, उक्त सहमति पत्र की प्रमाणित प्रति बतौर सबूत के प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण ने उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 व खसरा नम्बर 49/3 में खातेदार काश्तकार का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का को कही बार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का तकाजा किया, मगर प्रार्थीगण के बार-बार तकाजा करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हि राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि को दुरूस्ती करने से साफ मना कर दिया, इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान् के समक्ष राजस्व रेकर्ड/जमांबदी खतौनी में गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रहा है।

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी से सम्बद्ध जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम पृथ्वीपुरा की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 145 मे ख.नं. 49 रकबा 14-09 बीघा ख.नं. 49/3 रकबा 23-06 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 37-15 बीघा में सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिह, शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह कौम राजपुत सा0 देह खातेदार रहन जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह का हिस्सा एमजीबी शाखा जैतारण दर्ज रेकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी में खातेदारान के हिस्से दर्ज नही हैं। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 तक के माफिक खसरा नम्बर 49 रकबा 133-12 बीघा किस्म चाही दोयम में सवाईसिंह वल्द विजयसिंह 1/6 वां हिस्सा, जालमसिंह वल्द सुल्तानसिंह 1/2 वां हिस्सा, समन्दरसिंह वल्द भूरसिंह 1/3 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। नामान्तरण संख्या 36 के अनुसार हरिसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, मदनसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, रामसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/6 वां हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/6 वां हिस्सा कौम राजपूत दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 186 के अनुसार बंटवाड़ा आदेश से खसरा नम्बर 49 रकबा 19-10 बीघा, खसरा नम्बर 49/3 रकबा 23-06 बीघा में शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह, सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरकरण में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं किये गये। प्रार्थीगण का दावा है कि बंटवाड़े के नामान्तरणकरण में शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/3 वां हिस्सा दर्ज किया जाना था। वादीगण द्वारा सहखातेदार सज्जनसिंह को पक्षकार संयोजित नही किया हैं, चूंकि वाद हिस्से दुरूस्त करने से सम्बद्ध हैं इसलिये सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाने से सज्जनसिंह को जरिये नोटिस तलब किया गया। सज्जनसिंह बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सरकारी पैरोकार तहसीलदार ने जवाब दावा पेश किया, सा0मि0किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण / पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी से सम्बद्ध जवाब दावा का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 तक के माफिक खसरा नम्बर 49 रकबा 133-12 बीघा किस्म चाही दोयम में सवाईसिंह वल्द विजयसिंह 1/6 वां हिस्सा, जालमसिंह वल्द सुल्तानसिंह 1/2 वां हिस्सा, समन्दरसिंह वल्द भूरसिंह 1/3 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। नामान्तरण संख्या 36 के अनुसार हरिसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, मदनसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, रामसिंह पुत्र जालमसिंह 1/6 वां हिस्सा, शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/6 वां हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1/6 वां हिस्सा कौम राजपूत दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 186 के अनुसार बंटवाड़ा आदेश से खसरा नम्बर 49 रकबा 19-10 बीघा, खसरा नम्बर 49/3 रकबा 23-06 बीघा में शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह, सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरकरण में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं किये गये। एवं प्रार्थीगण सज्जनसिंह, जवानसिंह, शेरसिंह द्वारा उक्त खसरा नम्बर 49/3 जो आंशिक हिस्सा नेशनल हाईवे 112 सड़क हेतु भूमि अवाप्त हुई उसमें मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु उक्त आराजी में 1/3,1/3,1/3 हिस्सा होने से सम्बद्ध 100/- के स्टाम्प पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया कि हमारा उक्त अनुसार हिस्सा हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/3 वां हिस्सा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता राजस्व मौजा- पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया भू.अ.निरीक्षक बैड़कला तहसील जैतारण जिला पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 14-9 बीघा, ख.नं. 49/3 रकबा 23-06 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 37-15 बीघा की भूमि में शेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, जवानसिंह पुत्र समन्दरसिंह 1/3 वां हिस्सा, सज्जनसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/3 वां हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला- पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला- पाली)